

जनपद/ईकाई में लम्बित एकमात्र एलटीसी के बिल को दिनांक: 30.05.2020 तक आहरित करने हेतु अनुदान निम्नानुसार आवंटित किया जा रहा है। अब जनपद/ईकाई के एलटीसी का कोई भी बिल रेडियो मुख्यालय में भुगतान हेतु लम्बित नहीं है। अनुदान का उपभोग दिनांक: 30.05.2020 तक न करने पर आपके जनपद को बिना सूचित किये अनुदान वापस ले लिया जायेगा।

SL NO.	लंबित बिल का प्रकार	अधिकारी /कर्म का नाम	अधिकारी / कर्म का पदनाम	अधिकारी / कर्म जिसका बिल है , उसका मोबाइल नंबर	जनपद / ईकाई	एलटीसी का बिल जनपद - ईकाई के प्रभारी अधिकारी(रेडियो निरीक्षक) के कार्यालय में submit करने का दिनांक	उपरांत कर्म के बिल की धनराशि .
1	45- एल टी सी	RAJKUMAR SHARMA	RSI	7906073382	GBN	05-02-20	9570